

डीडवाना को जिला बनाने की मांग ने जोर पकड़ा

विधायक चेतन डूडी की अगुवाई में रामलुभाया कमेटी से मिला प्रतिनिधि मंडल

डीडवाना, (निसं)। राज्य बजट प्रस्तुत करने की तारीख नजदीक आने के साथ ही डीडवाना को जिला बनाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसके तहत बुधवार को डीडवाना विधायक चेतन डूडी की अगुवाई में डीडवाना का एक प्रतिनिधि मंडल नए जिलों के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस रामलुभाया से मिला और ज्ञापन एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर डीडवाना को जिला बनाने की मांग रखी।

इस मौके पर विधायक चेतन डूडी ने कहा कि डीडवाना तत्कालीन राज्य का परगना रहा है। आजादी से पूर्व भी डीडवाना में जिला कलेक्टर के समक्ष सुपरिटेण्डेंट का पद था। इसके अलावा 1996 से ही डीडवाना अतिरिक्त जिला मुख्यालय रहा है। डीडवाना में जिला स्तरीय सभी कार्यालय मौजूद हैं और अब केवल जिला कलेक्टर व एसपी के पदों को ही जरूरत है। उन्होंने बताया कि डीडवाना को जिला



विधायक चेतन डूडी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने रिटायर्ड आई.ए.एस. रामलुभाया से मुलाकात की।

बनाने की मांग 4 दशक पुरानी है। तत्कालीन नागौर जिला कलेक्टर भी डीडवाना को जिला बनाने की कमेटी के अलावा राजस्व मंडल व

तत्कालीन नागौर जिला कलेक्टर भी डीडवाना को जिला बनाने की कमेटी के अलावा राजस्व मंडल व

डूडी ने कहा कि डीडवाना का प्रशासनिक ढांचा बेहद मजबूत है और सड़क व रेल मार्गों से भी डीडवाना

■ **ज्ञापन व तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपकर की डीडवाना को जिला बनाने की मांग**

■ **‘वर्तमान में जिला बनाने की दौड़ में सबसे योग्य डीडवाना’**

के लिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। डीडवाना की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, संसाधन व उपलब्ध कार्यालय जिला बनाने के उपयुक्त है। इसलिए लोगों की मांग और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डीडवाना को जिला बनाया जाना चाहिए। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष रामलुभाया ने सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

दिव्या मित्तल रिश्वत मामला: वॉइस सैपल प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में हुई बहस

किसी नतीजे पर नहीं पहुंची कोर्ट, मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी निर्धारित की

अजमेर, (कासं)। दो करोड़ की रिश्वत मामले में गिरफ्तार एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल की बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। एडिशनल जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अदालत में एसीबी द्वारा मित्तल के वॉइस सैपल लेने के लिए लगाए गए प्रार्थना पत्र पर बहस हुई। एक घंटे चली बहस के बाद कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी निर्धारित की। मालूम हो कि दिव्या मित्तल 17 फरवरी तक जेल में बंद है।



दिव्या मित्तल की फाइल फोटो।

दो करोड़ों रूपए कथित तौर पर रिश्वत मांगने की एसओजी की निर्लंबित एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल के मामले में बुधवार को अदालत में वॉइस सैपल लेने के लिए एसीबी के लगाए गए प्रार्थना पत्र पर बहस हुई, जिसमें एसीबी की ओर से एसीबी अधिकारी मांगीलाल कोर्ट में पेश हुए। दिव्या मित्तल की ओर उनके वकील प्रीतम सिंह सोनी कोर्ट में उपस्थित थे। प्रार्थना पत्र पर चली एक घंटे की बहस के बाद भी कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। एसीबी का कहना है कि दिव्या मित्तल को दवा निर्माता और दलाल सुमित के

बोच जो बातचीत हुई है उसकी रिकार्डिंग उनके पास है। उसकी मिलात करने के लिए दिव्या मित्तल का वायस सैपल लेना जरूरी है। जिससे कि बातचीत को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। जिस पर आपत्ति दाखिल करते हुए दिव्या के वकील ने तीन सवाल किए हैं। उनका सवाल है कि हाई कोर्ट को एसीबी कोर्ट में उपस्थित हैं जिसके तहत आरोपी का वायस सैपल लिया जा सके। दूसरा यह कि इस कोर्ट के पास इस मामले को सुनने का अधिकार ही नहीं है। इस मामले को सुनवाई विशेष अदालत में ही हो सकती है। सोनी ने उस सीडी की कापी भी मांगी है जिसमें आरोपी दिव्या मित्तल की आवाज रिकार्ड होने का दावा किया जा रहा है। एडवोकेट सोनी ने कोर्ट में फिर से सैपल की अर्जी को खारिज करने की दलील दी। बुधवार को सुनवाई में कोर्ट किसी भी मुद्दे पर किसी मुकाम पर नहीं पहुंची, जिस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 फरवरी तय की है।

बैंक लूट कर भागे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़

तीन बदमाशों के गोली लगी, जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया

धौलपुर, (निसं)। धौलपुर जिले के दिहाली थाना के मेरना कस्बे में बुधवार दोपहर को 6 बदमाशों ने फायरिंग कर पीएनबी बैंक से 4 लाख रूपए लूट लिए। जिसके बाद भागते समय इन बदमाशों को पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। जिसमें 3 बदमाशों के गोली लग गई। जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। वहीं पुलिस 3 भागे हुए बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है।

■ **बदमाश फायरिंग कर पी.एन. बैंक से 4 लाख रूपए लूटकर भाग रहे थे**

धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बदमाश दोपहर करीब 3 बजे 2 बाइक पर आए। इनमें से 3 बदमाश बैंक के अंदर घुसे। एक बदमाश ने हवाई फायर किया और मैनजर को बंधक बनाकर 4 लाख लूट लिए। बैंक में डकैती डालकर भाग रहे बदमाशों की जानकारी मिलने के बाद दीपक खंडेलवाल के नेतृत्व में पुलिस पर फायरिंग

प्रभारी लाखन सिंह और दिहाली थाना प्रभारी बीधराम राम की टीम ने 3 बदमाशों का पीछा किया और मुठभेड़ के बाद तीनों को पकड़ लिया गया। एसपी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए तीनों बदमाश बसेडी थाना क्षेत्र के पुरंतपुर गांव के रहने वाले हैं। गोली लगने से घायल हुए बदमाश सौरभ, विवेक और अंकित को राधे का पुरा गांव के पास से मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया है। उन्होंने बताया कि डकैती डालने के बाद बदमाशों ने रास्ते में एक राहगीर को बाइक भी छीन ली और उत्तर प्रदेश की ओर भागने लगे।

भीलवाड़ा जेल का निरीक्षण किया

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठ मैत्रेयी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम के साथ आज जिला कारागृह में सघन चैकिंग की गई, लेकिन कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इसके चलते जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली। एसपी मैत्रेयी ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई एवं जेल में सक्रिय आपराधिक तत्वों के खिलाफ सघन चैकिंग आदेशानुसार पुलिस महानिदेशक व महानिदेशक जेल के जिला कारागृह के आकस्मिक चैकिंग के बाद बुधवार को यहां एडीएम सिटी व एसपी मुख्यालय के निर्देशन में टीम ने दोपहर जिला जेल में प्रवेश किया। इनके साथ टीम में डीएसपी सिटी, कोतवाल, पुलिस के 35 जवान, जेल के 12 प्रहरी के साथ ही जेल अधीक्षक सिंह, दो जेलर भी थे। टीम ने जेल के सभी 263 बंदियों की बारिकी से तलाशी ली। इनके कपड़ों व सामान के साथ ही सभी 6 बैरिक, खुला परिसर का चप्पा-चप्पा छान मारा, लेकिन कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। उधर जेल में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिलने से जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली।

फायरिंग करने के आरोपियों को कोर्ट में किया पेश

राजू ठेहठ की हत्या करने के बाद हरडिया में फायरिंग की थी

खेतडी, (निसं)। सीकर में राजू ठेहठ की हत्या करने के बाद हरडिया में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के दो आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया है। आरोपियों को खेतडी पुलिस ने फायरिंग के मामले में प्रोडक्शन वॉरंट पर गिरफ्तार किया था, जिन्हें घटनास्थल की तस्वीरों के बाद कोर्ट में ले जाया गया।

सीआई विनोद सांखला ने बताया कि 3 दिसंबर को सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहठ की कुछ युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या की वारदात होने के बाद सीकर व झुंझुनू की पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दोनों जिलों में हथियारबंद जवानों की नाकाबंदी करवाई गई थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि वारदात के आरोपी खेतडी थाना क्षेत्र में आए हुए हैं, जिस पर पुलिस ने सीकर सीमा से सटे खेतडी थाना इलाके में ए श्रेणी की नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान क्रेटा गाड़ी में सवार होकर आए युवकों ने बबाई चैक पोस्ट के पास नाकाबंदी टोडकर पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब आरोपियों



पुलिस ने आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया।

का पीछा किया तो उन्होंने हरडिया में सड़क निर्माण कार्य कर रही लेबर को हटाने के लिए फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी बबाई फायर करने के बाद मौके से फरार हो गए थे। जिसको पुलिस ने दूसरे दिन खनन क्षेत्र से गिरफ्तार किया था।

सीआई ने बताया कि आरोपी जिला चरखी दायरी निवासी जितन उर्फ जानी पुत्र रतन सिंह, सतीश पुत्र महिपाल को प्रोडक्शन वॉरंट पर लाया गया है। इस दौरान दोनों आरोपियों से 3 दिसंबर को अंजाम दिया था। आरोपी बबाई फायर करने के बाद मौके से फरार हो गए थे। जिसको पुलिस ने दूसरे दिन खनन क्षेत्र से गिरफ्तार किया था।

सीआई ने बताया कि आरोपी जिला चरखी दायरी निवासी जितन उर्फ जानी पुत्र रतन सिंह, सतीश पुत्र महिपाल को प्रोडक्शन वॉरंट पर लाया गया है। इस दौरान दोनों आरोपियों से 3 दिसंबर को अंजाम दिया था। आरोपी बबाई फायर करने के बाद मौके से फरार हो गए थे। जिसको पुलिस ने दूसरे दिन खनन क्षेत्र से गिरफ्तार किया था।

हैड कांस्टेबल निर्लंबित, तीन पुलिस कर्मियों को थाने से हटाया

जोधपुर, (कासं)। बनाइ स्थित सारण नगर चुंगीनाका के पास में अधिवक्ता से हुई मारपीट के प्रकरण में अधिवक्ताओं के आंदोलन के साथ ही आज बनाइ थाने के हैडकांस्टेबल लक्ष्मणसिंह को निर्लंबित करने के आदेश जारी हुए है। वहीं तीन पुलिस कर्मियों को थाने से हटाया गया है। जोधपुर के वकील दो दिन से लगातार इस बारे में आंदोलनरत रहने के साथ न्यायिक कार्यों का बहिष्कार पर उतर आए थे।

■ **सारण नगर चुंगीनाका के पास में अधिवक्ता से हुई मारपीट का मामला**

■ **अधिवक्ताओं का न्यायिक कार्य बहिष्कार वापस लिया गया**

पर धरने के साथ प्रदर्शन किया था। दोनों एसोसियेशनों की तरफ से पुलिस के आलाधिकारियों से दो दिन से बातचीत के साथ ज्ञापन तक दिया गया था। पुलिस अधिकारियों ने आज हैडकांस्टेबल को निर्लंबित करने के आदेश जारी किए वहीं तीन पुलिस कर्मियों को बनाइ थाने से हटाया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष रणजीत जोशी व राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष रवि भंसाली ने संयुक्त रूप से सूचना जारी करते

हुए अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा की थी। कोर्ट परिसर में अधिवक्ता इस घटना को लेकर एकत्र होना शुरू हो गए थे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि अधिवक्ता जोगेंद्र के साथ मारपीट के मामले में मानवाधिकार आयोग के प्रतिवेदन देकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई लेकिन पुलिस ने खुद के बचाव में अधिवक्ता के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। अब दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर निर्लंबित करने की मांग की गई थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अधिवक्ता जोगेंद्र के साथ हुई मारपीट के मामले में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीके व्यास को शिकायत की थी। आयोग को शिकायत प्राप्त होने के बाद अध्यक्ष जस्टिस जीके व्यास ने पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ को फैंक्स व ईमेल के माध्यम से 22 फरवरी तक स्पष्ट कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी है।

सूने मकान से नकदी व जेवरत चोरी

उदयपुर, (कासं)। सूने मकान का ताला तोड़ कर नकदी व जेवरत चोरी करने वाले के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित खेमपुरा सोलाकी रेस्टोरेण्ट बेडवास रोड़ प्रतापनगर निवासी माधवसिंह पुत्र रामसिंह ने प्रतापनगर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि 4 फरवरी को मकान पर ताला लगा कर शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गया था। वापस लौटा तो ताला टूटा हुआ एवं कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। इस पर तलाशी ली तो सोने के सिने के एयरिंग, कान के टॉप्स, 2 अंगुठी, चैन, सोने व चांदी के घायल तथा चांदी की कटोरी तथा पाच हजार रूपये नकदी गायब थी इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

पूर्व छात्र की मौत से गुस्साएं छात्रों ने धरना दिया

■ **छात्रों ने बी.एन. यूनिवर्सिटी गेट पर जड़ा ताला**

उदयपुर, (कासं)। भूपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी में पूर्व छात्र की मौत पर गुस्साएं छात्रों ने बुधवार को यूनिवर्सिटी गेट पर ताला जड़ दिया और छात्र गेट पर ही धरने पर बैठ गए किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक 21 वर्षीय चंद्रवीर सिंह राजानत सवाई माधोपुर का रहने वाला था। बीएन यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र चंद्रवीर आर्मी की फिजिकल परीक्षा पास कर चुका था तथा फिटनेस के लिए बीएन ग्राउंड पर दौड़ का अभ्यास कर रहा था। मंगलवार को मैदान पर दौड़ के दौरान हाट अटक आने से उसकी तबियत बिगड़ गई। इसके बाद अन्य छात्रों ने तुरंत यूनिवर्सिटी में खड़ी

एंबुलेंस को बुलाने के लिए कॉल किया, लेकिन एंबुलेंस ने आने में देरी कर दी। ऐसे में वहां मौजूद कुछ छात्र तुरंत चंद्रवीर को बेहोशी की हालत में अस्पताल लेकर रवाना हो गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रों ने बताया, उन्हें डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ा देर पहले लेकर आ जाते तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। ऐसे में छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने छात्रों की मेडिकल सुविधा के लिए जो एंबुलेंस रखी हुई है, वह उनके कोई काम नहीं आई। अगर एंबुलेंस समय पर आती तो चंद्रवीर की जान बच सकती थी।

ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। मोबाईल पर अश्लील वीडियो तैयार कर पीडित को ब्लैकमेल कर नकदी वसूलने वाले के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित जनकपुरी प्रतापनगर निवासी भगवतीलाल पुत्र तुलसीराम सुथार ने प्रतापनगर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया कि एक फरवरी रात में मेरे मोबाईल पर कॉल आया। उक्त कॉल उठाने पर बातचीत करने के दौरान नॉन हालत में बातचीत कर रही महिला ने मेरी अश्लील वीडियो तैयार कर ली थी। घमकाने पर उसके कहे अनुसार पांच हजार रूपये आरोपी को खते में जमा करवाया तथा उसके कहने पर मैंने अपने कपड़े उतार लिए। कुछ समय बाद उक्त वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रूपयों की मांग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

एम्स के कोविड सेंटर में भर्ती हुए थे सो अपील खारिज की जाए। राज्य आयोग ने दोनों अपील मंजूर करते हुए बीमा कम्पनी पर एक लाख रूपए हर्जाना लगाते हुए कहा कि तत्सम्य कोविड का इतना व्यापक अरथ था कि रोगियों को न केवल अस्पताल, बल्कि स्कूलों, होटलों और यहां तक देन की बोगियों में भी कोविड सेंटर बनाकर रखा गया था तो यह माने जाने योग्य नहीं है कि सामान्य व्यक्ति को एम्स जैसे अस्पताल में सिर्फ सुविधा की खातिर पांच दिन भर्ती रखा जा सके। उन्होंने बीमा कम्पनी के इस आक्षेप को भी रद्द कर दिया कि अपीलार्थी एम्स अस्पताल में भर्ती नहीं होकर कोविड सेंटर में भर्ती हुए थे। उन्होंने जिला आयोग के आदेश को निरस्त कर बीमा कम्पनी को निर्देश दिए कि दोनों अपीलार्थी को कुल पांच लाख रूपए मय 9 फीसदी ब्याज 45 दिन में अदा करें।

500 साल पुराने किले में होगी स्मृति इरानी की बेटी की शादी

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर नागौर जिले के खींवरस फोर्ट में आज से केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति इरानी की बेटी शनेल और अर्जुन भल्ला की हल्दी और मेहंदी की रस्म पूरी हुई। शादी के लिए स्मृति इरानी आज सुबह 8 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचीं। यहां से वे पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह के साथ सड़क मार्ग से खींवरस पहुंचीं। जबिन इरानी एक दिन पहले ही यहां पहुंचे थे। जिस फोर्ट में शनेल और अर्जुन की शादी होगी, वह करीब 500 साल पुराना है। ये फोर्ट कई बॉलीवुड स्टार को पहली पसंद भी है। यहां कई बॉलीवुड मूवी की शूटिंग हो चुकी है। इस फोर्ट की सबसे खूबसूरत बात इसी के पास बने तेरीले धोरे है। तेरीले टीलों पर आज म्यूजिकल नाइट होगी। शनेल स्मृति के पति जबिन इरानी की पहली पत्नी मोना की बेटी हैं।



बेटी की शादी के लिए केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति इरानी जोधपुर पहुंचीं।

नाइजीरियन तस्कर सहित तीन गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (निसं)। नशे की सप्लाई करने के आरोप में पुलिस ने एक नाइजीरियन समेत श्रीगंगानगर के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पर तस्करों को पकड़ा गया है। मीरा चौक चौकी पुलिस के एसआई रामविलास ने चार फरवरी को श्रीगंगानगर के एफ ब्लॉक के रहने वाले युवक साहिल चड्ढा पुत्र सुरेंद्र कुमार को 10 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा था।

बीमा कम्पनी पर एक लाख रूपए हर्जाना लगाया

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का फैसला

जोधपुर, (कासं)। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अपने फैसले में यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है कि यह विश्वास योग्य नहीं है कि कोरोना काल में एम्स जैसे विख्यात अस्पताल में बीमाधारक अपनी सुविधानुसार पांच दिन बिना जरूरत बीमा राशि लेने के वास्ते कोरोना ग्रथित होकर जानबूझ कर भर्ती रहा हो। राज्य आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश देवेन्द्र कछावर, न्यायिक सदस्य निर्मल सिंह मेडतवाल और सदस्य संजय टाक ने जिला आयोग के आदेश को अपास्त करते हुए दो अपीलें मंजूर कर बीमा कम्पनी पर एक लाख रूपए का हर्जाना लगाते हुए परिवारी पिता पुत्र को पांच लाख रूपए दवा राशि मय 9 फीसदी ब्याज 45 दिवस में अदा करने का आदेश दिया। सूरज नारायण मंगल और कार्तिक मंगल ने अधिवक्ता अनिल भंडारी के

माध्यम से अपील दायर कर कहा कि उन्होंने वर्ष 2020 में ढाई ढाई लाख रूपए की कोरोना रक्षक बीमा पॉलिसी करवाई थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि कोरोना ग्रथित होने पर बीमाधारी 72 घंटे से अधिक अस्पताल में भर्ती रहता है तो दावा किए जाने पर पूर्ण बीमा राशि प्राप्त होगी। पिता पुत्र दोनों को कोरोना होने पर नवंबर 2020 में एम्स अस्पताल में पांच दिन भर्ती रखा गया। लेकिन बीमा कम्पनी ने यह कहकर दावा खारिज कर दिया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं थी। जिला आयोग जोधपुर प्रथम ने यह कहकर दोनों परिवार खारिज कर दिए कि परिवारी के घर में सुविधा नहीं होने से अस्पताल को सुरक्षित मानकर कोविड सेंटर में भर्ती हो गए। अपीलार्थी की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी

पांच लाख रूपए मय 9 फीसदी ब्याज पीडित को अदा करने का आदेश

एम्स के कोविड सेंटर में भर्ती हुए थे सो अपील खारिज की जाए। राज्य आयोग ने दोनों अपील मंजूर करते हुए बीमा कम्पनी पर एक लाख रूपए हर्जाना लगाते हुए कहा कि तत्सम्य कोविड का इतना व्यापक अरथ था कि रोगियों को न केवल अस्पताल, बल्कि स्कूलों, होटलों और यहां तक देन की बोगियों में भी कोविड सेंटर बनाकर रखा गया था तो यह माने जाने योग्य नहीं है कि सामान्य व्यक्ति को एम्स जैसे अस्पताल में सिर्फ सुविधा की खातिर पांच दिन भर्ती रखा जा सके। उन्होंने बीमा कम्पनी के इस आक्षेप को भी रद्द कर दिया कि अपीलार्थी एम्स अस्पताल में भर्ती नहीं होकर कोविड सेंटर में भर्ती हुए थे। उन्होंने जिला आयोग के आदेश को निरस्त कर बीमा कम्पनी को निर्देश दिए कि दोनों अपीलार्थी को कुल पांच लाख रूपए मय 9 फीसदी ब्याज 45 दिन में अदा करें।